lkln e cgl

केन्द्र की नाकामी से हुई असम हिंसा

ykd lHkk

- ykyÑ".k vkMok.kh
- fot;k pØorh
- jktu xkgu

jkT; lHkk

- v#.k tsVyh
- cychj iqt
- r#.k fot;

Hkkjrh; turk ikVh

BHARATIYA JANATA PARTY

çdk'kdh;

गत जुलाई महीने से असम में भयानक हिंसा का दौर जारी है। स्थानीय बोडो जनजाति एवं बंगलादेशी घुसैपठियों के बीच हुए संघर्ष में अब तक 85 लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब पांच लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है।

मानसून सत्र के पहले दिन 8 अगस्त 2012 को लोकसभा में असम हिंसा पर भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए इस हिंसा के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों ने तथ्यों, तर्कों एवं वास्तविक स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए केन्द्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। राज्यसभा में इसी मुद्दे पर हुई बहस में भाग लेते हुए सदन में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने असम हिंसा के पीछे कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया।

हम इस पुस्तिका में श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं श्री अरुण जेटली के भाषणों के साथ–साथ श्रीमती विजया चक्रवर्ती, श्री बलबीर पुंज, श्री तरुण विजय एवं श्री राजेन गोहैन के भाषणों के संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार और असम की कांग्रेस सरकार के कुकृत्यों से जन–जन अवगत हो सके।

çdk'kd
Hkkjrh; turk ikVh
11–अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

vxLr 2012

लोकसभा

केन्द्र की नाकामी से हुई असम हिंसा

& ykyÑ".k vkMok.kh

गत 8 अगस्त को लोकसभा में असम हिंसा पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत करते हुए भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस हिंसा के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश से घुसपैठ पर रोक लगाने में नाकाम रही, जिससे भारत तथा भारतीयों को खतरा पैदा हो रहा है। हम यहां श्री आडवाणी के भाषण का सम्पूर्ण पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं:

महोदया, मैं असम के इस विषय पर बोलने से पहले सदन के नए नेता और गृह मंत्री शिंदे जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यह जिम्मेदारी सम्भाली है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज की इस चर्चा के समय प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित हैं। क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन केन्द्रीय सरकार की किसी विफलता के ऊपर होता है। असम की साधारण स्थिति में तो हम असम सरकार की चर्चा ज्यादा करते।

लेकिन अध्यक्ष महोदया ने मुझे इस एडजर्नमेंट मोशन का कंसेन्ट देकर मेरे ऊपर एक प्रकार से जवाबदेही डाल दी है। मेरी ओर से चर्चा का केन्द्र–बिंदु यह है कि केन्द्र सरकार का क्या दायित्व रहा है, जिसके कारण हम समझते हैं कि जो घटनाएं इन दिनों असम में हुई हैं, उनमें यह विफलता मुख्यरूप से केन्द्र सरकार की है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिह जी यहां उपस्थित हैं और यह इसलिए भी उपयुक्त है कि पिछले 22 सालों से डा. मनमोहन सिह जी अगर संसद में हैं तो वे असम के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं। दोनों दृष्टि से इस बात का महत्व है कि वे और हमारे नये गृह–मंत्री दोनों यहां

उपस्थित हैं। हम चाहते थे कि प्रातःकाल 11 बजे ही इस पर चर्चा शुरु हो और कुछ हमारे मित्रों ने सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चयन आवर का नोटिस दिया था। उस समय मैंने देखा कि आज के हमारे गृह मंत्री और पूर्व–गृह–मंत्री जी बैठे हुए थे। मुझे लगा कि यह संयोग की बात है और अगर चर्चा इस समय शुरू होगी तो ये सभी के सभी होंगे।

पिछले दिनों 30–31 तारीख को मैं असम गया था, कोकराझार गया गया था, जहां पर ये घटनाएं सबसे अधिक हुईं। उस दिन मैं अगर कोकराझार में था तो उस समय के गृह–मंत्री श्री चिदम्बरम जी डूब्री में थे, पड़ोस के जिले में थे। मैं इस बात से सहमत हूं कि हिदुस्तान के अलग–अलग भागों में जब इस प्रकार के तनाव होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसमें कई बार बहुत लोगों की मौत हो जाती है। यहां हिंसा हुई है ओर उसके कारण कई लोग मरे हैं लेकिन शुरू में जब उल्लेख हुआ कि 100 लोगों की मृत्यु हुई, तो सजैस्ट किया गया कि वस्तुस्थिति यह नहीं है, हिंसा तो बहुत हुई है लेकिन अगर आप मरने वालों की संख्या न लिखकर आप लिखें कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई है तो ठीक रहेगा। इस सुझाव को हमने मान लिया और उसमें ''बहुत'' शब्द आ गया। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार जो कुछ हुआ है वह असम की कुल जनसंख्या, जो लगभग तीन करोड़ होगी और उसमें दो लाख से अधिक, जबकि कुछ लोग तीन लाख कहते हैं, कुछ चार लाख कहते हैं, लोग बेघरबार हो जाएं, this is something unprecedented. इस स्केल की डिस्टर्बेंस, जिसके कारण इतने लोग बेघरबार हो जाएं। मैं बोडो और नॉन–बोडोज के रिलीफ कैम्प में गया था और उनसे मिला था। उनमें अधिकतर महिलाएं और उनके बच्चे थे। वे बड़ी दुःखी थीं और वे बार–बार मुझे कहती थीं कि एक और प्रदेश है जहां के बारे में हमने सुना कि लोग अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में बेघरबार हो गये हैं, शरणार्थी बन गये हैं और वह जब हुआ, उसे काफी समय हो गया है और आज तक वे लौटे नहीं हैं, ऐसा न हो कि हमारी दशा भी वैसी ही हो जाए और हम अपने–अपने घरों से निकाले गये हैं। जो तीन–चार जिले खासतौर से बोडोज के प्रभावित हैं। दोनों ही कैम्पों में में जिन महिलाओं से मिला, दोनों कैम्पों में लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने घरों को वापस जा ही नहीं सकेंगे। मैं आरम्भ में ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सवाल को सांप्रदायिक नजर से नहीं देखना चाहिए।

महोदया, जब मैं कोकराझार गया था तब भी मैंने कहा था कि let not anyone regard it as a Hindu vs. Muslim issue. मैं इसके साथ एक बात और भी जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि जब यह बात कही गई कि यह एथनिक वायलेंस है, जिसमें से भाव यह आता है कि यह बोडोज़ और नॉन बोडोज़ के बीच में है। मैं मानता हूं कि भले ही दोनों बातों में थोड़ी–थोड़ी सच्चाई होगी, लेकिन मुख्य रूप से हमें समझना होगा कि जो स्थिति आज असम में पैदा हुई है वह मूलतः हिंदू वर्सिस

मुस्लिम या ट्राइबल वर्सिस नॉन–ट्राइबल नहीं है। मूलतः इस समस्या की जड़ है कि भारतवासी कौन है और विदेश से आया हुआ कौन है। इस तथ्य को पहचानने के बाद अप्रोच में संतुलन रहेगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि असम में पहले से बहुत सारे असमिया मुस्लिम लोग बसते हैं और बहुत सालों से बसते हैं। उनके साथ समस्या नहीं है। यह बात सही है कि बहुत सारे लोग पड़ोसी देश से घुसपैठिए के रूप में आते हैं, वे अपनी भाषा असमिया लिखाते हैं, लेकिन उन्हें असमिया भाषा का एक शब्द भी नहीं आता है। वे बंगला बोलते हैं। मैं कहूंगा कि अगर मूलतः इसकी जड़ को हम पहचानेंगे कि बंगला देश से बहुत सालों से हो रही घुसपैठ के कारण धीरे–धीरे केवल असम के लिए नहीं, केवल पूर्वी भारत के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की सुरक्षा संकटग्रस्त हो गई है। इस तथ्य को अगर हम पहचानेंगे तो मानना पड़ेगा कि आज असमिया लोग भी, जो बहुत सालों से असम में रहते हैं उन्हें लगता है कि जिस स्केल की अशांति और जिस स्केल की हिंसा आज असम में हुई है, वह अगर देश के किसी और भाग में हुई होती तो आप देखते सभी के सभी कहते कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यह कानून बना दो, धारा 356 लगा दो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहां पत्र–पत्रिकाओं में से भी किसी को यह एहसास नहीं होता कि वहां कितनी खराब स्थिति है। इसका कारण यह है कि कुछ थोड़े से जिले हैं, जहां यह सब हुआ है। मैं एक प्रकार से कहूंगा कि उन जिलों में स्थिति आई है, जहां एनडीए ने अपना योगदान दिया था और बोडोज़ की मांगों के बारे में सोच कर टेरीटारियल काउंसिल बनाई और जब टेरीटोरियल काउंसिल बनी, उसके कारण बोडोज़ की जो मांग थी कि उन्हें अलग बोडोलैंड मिले, वैसा नहीं हुआ लेकिन उसके स्थान पर कुछ तो किया गया। इसलिए जब हमारे मित्र वहां इस हिंसा को देखने के लिए गए थे ओर कुछ करने के लिए गए थे, तब उन्हें कहा गया कि एनडीए की सरकार ने सही कदम उठाया। लेकिन आज उन्हीं एरियाज़ में, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है व क्योंकि पास के देश से बहुत सारे घुसपैठिए आए हैं। इस कारण लोग कहते हैं कि इन्हें अधिकार दिए हैं यह मानकर कि इनकी बड़ी संख्या है, हमारी संख्या अब ज्यादा हो गई है। मैं आपके सामने बात कहना चाहूंगा कि न केवल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह बहुत बड़ा कलंक है। प्रधानमंत्री वहां उसी दिन 28 तारीख को गए थे, जिस दिन यहां इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल छपा ओर आर्टिकल लिखने वाले मिस्टर ब्रह्मा थे, जो इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने एक लम्बा आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किया और पूछा कि अचानक ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यह घुसपेठ आज ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इन्होंने ह्यूज टिंडर बॉक्स का प्रयोग किया है और आज प्रातःकाल का में अखबार उठाकर देखता हूं कि वहां के मुख्य मंत्री तरुण गोगोई साहब ने कहा है कि Assam issitting in a volcano- असम ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। दोनों का भाव यही है कि एक तो स्थिति आज

की जो खराब हुई है और दूसरे यह कि ऐसी विस्फोटक स्थिति बनी है कि अगर उसके लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी फिर से विस्फोट हो सकता है, फिर से वैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

मैं इलेक्शन कमीशन को कोट करता हूं। उन्होंने कहा हैः "even the Election Commission of India is not immune to this problem. It has to tackle the problem of D-Voters." इलेक्शन कमीशन ने एक नया शब्द डी–वोटर्स प्रयोग किया है। डी–वोटर्स का मतलब डाउटफुल वोटर्स है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नैशनेलिटी के बारे में ही संदेह है कि वह भारतवासी है कि नहीं है तो फिर वह वोटर कैसे हो सकता है? वोट देने का अधिकार केवल भारतवासी को है यानी जो भारत का नागरिक है, केवल उसी को है और उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे करके जो असम की मूल जनता है, उसके मन में भाव यह आ रहा है कि हमारी सब जमीनें भी दूसरे लोग ले जाएंगे, हम उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। इसको केवल हिन्दू–मुस्लिम के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए।

मैंने जैसे कि शुरु में कहा कि इसको भारतवासी ओर विदेशी इस संदर्भ में देखना चाहिए। महोदया, मैं याद करता हूं कि इसका जो आरम्भ हुआ, इस समस्या की ओर अगर सारे देश का ध्यान किसी ने दिलाया तो 1980 में जब वहां के छात्रों ने, नौजवानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और मैंने अपने 60 साल के रीजनैतिक जीवन में बहुत सारे आंदोलन देखे लेकिन जितना उस असम के आंदोलन का व्यापक रूप था और जितनी पहुंच उनकी थी और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से केवल उनका नेता आदेश देता था और उस दिन असम बंद रहता था। यहां तक कि चुनाव में भी लोगों ने भाग नहीं लिया। ऐसी स्थिति हुई और उस आंदोलन के बाद स्वाभाविक रूप से 1980 में ऐसा हुआ और शायद 1981–82 में एजीपी की सरकार आई होगी या वर्ष 1985 में आई थी। उसके तुरंत बाद उसका परिणाम राजनैतिक ही निकला।

मैं कहना चाहता हूं कि आज भी अगर बंग्लादेशी कोई आता है और उसको अगर कोई मारता है तो यह कोई खुशी की बात नहीं है।

मैं कहता हूं कि अगर कोई भारतवासी है और वह बेघर हो गया तो सरकार की जबावदेही है कि उसको घर दे। लेकिन अगर कोई विदेशी भी यहां आता है और उसकी कोई हत्या करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, उस पर किसी भी प्रकार से खुशी व्यक्त नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि यह एथनीसिटी का सवाल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि साम्प्रदायिक के स्थान पर एथनीक वॉयलेंस कहने पर आपत्ति नहीं है।

मैं दोनों को गलत मानता हूं और इस सवाल पर मैं मानता हूं कि बंगलादेश से जो घुसपैठ है और उसके कारण जो परिणाम पैदा होता है, स्थिति पैदा होती है,

वह एक बहुत गम्भीर मामला है ओर उसमें स्टेट गवर्नमैन्ट से ज्यादा जवाबदारी केन्द्र सरकार की है। इसीलिए मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं विपक्ष का कोई व्यक्ति हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं लेकिन every word of that I say is endorsed by the highest judiciary of the country. सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में आईएमडीटी एक्ट को जब रद्द किया तो उन्होंने उसमें जो–जो कहा है, वह बहुत गम्भीर मामला है। प्रधान मंत्री जी एक प्रकार से आपकी सरकार पर आरोप लगाया that you are colluding with foreign aggression. जो कुछ हो रहा है, फॉरेन एग्रेशन है, एवं एक्सटर्नल एग्रेशन है और उन्होंने आर्टिकल 355 साइट किया how it is the duty of the Central Government to see that this foreign aggression is stopped. उन्होंने इल्लिगल इमिग्रेशन को एक्सटर्नल एग्रेशन कहा। I do not want to quote all that in detail. इतना ही नहीं उसके बाद 2005 में आईएमडीटी एक्ट; now IMDT Act was supposed to be a solution for what the students were agitating against. राजीव गांधी जी ने किया था और उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत भला किया। लेकिन धीरे–धीरे करके सब लोगों को लगा और सुप्रीम कोर्ट में जब किसी ने पीआईएल दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इतना तीखा कटाक्ष किया कि वह कमाल है। जिन्होंने एक प्रकार से हिंदुस्तान में सिटीजनशिप एक्ट बनाया और जिन्होंने चाहा था कि कोई भी किसी भी समय भारत का सिटीजन बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे खत्म कर दिया। इतना ही नहीं उसके बाद आश्चर्य हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट खत्म करके उन्हें कहा कि जो फॉरेनर्स एक्ट है, वह लागू करके जो विदेशी हैं, उन्हें निकाल दो। 1964 का एक ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को लगाओ तो भारत सरकार ने तय किया कि जो 1964 का ऑर्डर है, वह असम पर नहीं लगेगा। This is the first time that the Supreme Court within one year, after it had struck down the IMDT Act, had once again to intervene and to say that what has been done now is to undo our judgement, and in a way to bypass our judgement. और उन्होंने कहा कि असम पर लागू नहीं होगा और उन्होंने उसे भी रद्द कर दिया और जो उसके बाद 2005–2006 का डिसीजन था, हमारे कपिल जी बैठे हैं, उन्होंने ये सब पढ़ा होगा। लेकिन उन्हें सबको पता है, लेकिन बेसिकली उनका 2006 के बारे में कहना है कि 2006 का निर्णय करते हुए हमें लगता है कि पिछली बार हमने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, भारत सरकार को यह नहीं कहा कि आईएमडीटी एक्ट को खत्म करने के बाद आपको विदेशी घुसपैठियों को कब तक निकालना चाहिए, हमने नहीं कहा। लेकिन अब हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि instead of obeying the mandamus issued by this Court essentially in the interests of national security and to preserve the

demographic balance of a part of India, that is Bharat, and implementing the 1964 Order in Assam in letter and spirit, the Authorities that be, have chosen to make the 1964 Order itself inapplicable to Assam. We have to once again lament that there is a lack of will in the matter of ensuring that illegal immigrants are sent out of the country.

और फिर इसके कारण उन्होंने कहा कि we direct that the directions issued to the Union of India to constitute sufficient number of Tribunals under the 1964 Order to effectively deal with the cases of foreigners who have illegally come from Bangladesh or are residing in Assam, be implemented within a period of four months from this date. इसकी तारीख 5 दिसम्बर, 2006 है। पांच दिसम्बर, 2006 को यह ऑर्डर इश्यु किया है कि चार महीने के अंदर–अंदर हमने आईएमडीटी एक्ट को खत्म करते हुए जो आॅर्डर दिया था, उसे इम्पलीमैन्ट करो। I cannot think of a greater failure of the Central Government than this; I cannot think. मैं विस्तार से जा सकता हूँ कि किस प्रकार से इस प्रकार के इल्लिगल इमिग्रेशन ने वहां पर लोगों के लिए समस्या पैदा की है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन न करने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वह केवल असम के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एक महान संकट है।

प्रधानमंत्री जी, पिछले काफी दिनों से आर्थिक मामलों को लेकर लोग कहते रहे हैं कि यह सरकार इस मामले में विफल हुई, उस मामले में विफल हुई है। उसकी चर्चा इस सेशन में होगी। स्पीकर महोदया ने जो पहली–पहली बैठक बुलाई थी, उसमें हमको ऐसा आश्वासन मिला था कि उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ उससे भी गंभीर, केवल असम की सुरक्षा के लिए ही नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए जो संकट पैदा हुआ है, वह इसमें से निकलता है। Failure to implement the Supreme Court's directions, orders in respect of illegal migration into the country. मैं कंटेंप्ट नहीं कहूंगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह देश के लिए संकट है। राष्ट्र के लिए संकट है। ऑफ्टर ऑल असम की सामरिक स्थिति ऐसी है कि वह देश की सुरक्षा के लिए स्वयं ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसका सामरिक महत्व है। इसकी उपेक्षा करना में बहुत गंभीर संकट मानता हूँ।

मुझे तो कभी–कभी खुशी होती है। मैंने अभी दो–तीन दिन पहले अपने हिसाब से, मैंने केवल पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोला था कि मैं अपने कार्यकर्त्ताओं को उत्साह दिला रहा था। लेकिन मैंने एक ब्लॉग लिखा था। मुझे पढ़ क़र के खुशी

हुई कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आडवाणी ने तो हार स्वीकार कर ली है। मैंने कहा कि अच्छा!

प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहता हूँ, मैं तो अपनी दृष्टि से कहता था, सोच कर आया था कि आज मैं मांग करूंगा कि यह विषय ऐसा है। आपकी जो पहली–पहली सरकार बनी थी, जिसको आप यूपीए–1 कहते हैं, वह चुनाव में से बनी थी। चुनाव में से बनी थी, वह लेजिटिमेट था। I do notsee anything illegitimate out of it. लेकिन आपकी जो दूसरी सरकार बनी है, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में मतदान जीतने के लिए, लोक सभा में मतदान जीतने के लिए कभी करोड़ों रूपये खर्च नहीं हुए।

प्रधानमंत्री जी मुझे याद है, आप यहां पर थे, जब मैंने कहा था कि मेरे जिन साथियों ने करोड़ों रूपये ला कर सदन में पटके, दिखाए थे।

प्रधानमंत्री जी, मैं तो यह मांग करने वाला था कि इस इश्यू पर देश की सुरक्षा के इश्यू पर, असम के सवाल को लेकर के जनता से मत लिया जाए। जनता के पास जाया जाए ओर उनसे राय ली जाए कि आपकी क्या राय है?

महोदया, मैं तो राजनीतिक दृष्टि से कह रहा हूं। मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं। देशी–विदेशी.मैडम, मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ। मैं 2009 के चुनाव के बारे में नहीं बोल रहा था। 2008 में जो विश्वास मत लिया गया था, मैं उसके बारे में टिप्पणी कर रहा था। 2009 के चुनाव का ज़िक्र मैंने नहीं किया। I was referring to the Confidence Vote in 2008.

महोदया, मैंने यूपीए–2 को कह दिया, मेरी गलती थी। मेरा कहना था कि यूपीए–1 के समय में ही एक प्रकार से जब विश्वास मत यहाँ लिया गया तो हिन्दुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैंने साफ कर दिया है।

महोदया, मैं आभारी हूं कि पहले तो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा का यह अवसर पैदा किया। मैंने 28 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए ब्रह्मा के आर्टिकल को कोट किया। उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि: "…Today, most of the districts along the Indo-Bangladesh border are devoid of Government lands or large grazing grounds, which were once an asset to the local communities and farmers. The systematic grabbing of government lands and the steady encroachment of denuded forest areas by illegal immigrants and non-indigenous communities have created serious differences among the local indigenous population. The concern voiced by the local political leaders, especially by the chief of the BTAD, Hagrama Mohilary, on the current issue, needs to be seriously examined by the State and Central Governments…"

हमारे बोडोज़ के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं।

"…The BTAD areas are governed under the Sixth Schedule of the Indian Constitution and tribal bloc rules and regulations are also applicable…"

This is one of the most important aspects of the problem, which is prevalent today there.

आज शिन्दे जी गृह मंत्री के रूप में इस चर्चा में उपस्थित हैं और वे चर्चा का उत्तर देंगे। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी अगर उसमें कुछ कहें तो अच्छा होगा। लेकिन गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज सरकार का ऑफिशियल एस्टीमेट क्या है about illegal immigration from Bangladesh into India? क्योंकि, अगर पुराना इतिहास आप देखेंगे तो यहां पर इसी विषय को लेकर कि कितने लोग हैं, जो कि केवल असम और नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही नहीं, लेकिन देश भर मे फैंल गये हैं तो मुझे एक बार का स्मरण है कि एक बार एक मंत्री ने एक्चुअली एग्जेक्ट फीगर देने की कोशिश की कि अलग–अलग स्टेट्स में कितने–कितने लोग हैं और मैं आपको बताऊं कि श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राज्य सभा में एक बार 15 जुलाई, 2004 को यह कहा कि:

"…1,20,53,950 illegal Bangladeshi migrants were residing in 17 States and Union Territories as on 31 December 2001..."

This is a statement made by the then Minister in Parliament, and he also said that 15 lakh Bangladeshis were living in Assam. अकेले असम की बात हुई, 15 लाख। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आपको स्मरण होगा, आप शायद उसके अगले दिन गोहाटी गये होंगे, जहां पर आपको इस पर कन्फ्रण्ट किया गया, वहां के असम के नेताओं के द्वारा, कि जायसवाल जी का यह स्टेटमेंट 2006 की विधान सभा चुनाव को बहुत प्रभावित कर सकता है और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने इण्टरवीन किया और बाद में कुछ दिन बाद जायसवाल जी ने पार्लियामेंट में आकर यह कहा:

"That he had provided the information about Bangladeshi infiltrators is unreliable and based on hearsay". This is a statement that he made in the House.

मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि नॉर्मली दुनिया का कोई देश जहां इतनी मैसिव इल्लीगल इमीग्रेशन होती है, उसे कोई इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, कोई इमीग्रेशन, किसी भी शब्द का प्रयोग करो, लेकिन दुनिया का कोई देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है और स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, कदम उठाये जाते हैं और यहां पर तो दो–दो बार सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा एक बार कोशिश

हुई तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ष 2005 का जजमेंट आया, उसको अनडू किया गया, सरकार के द्वारा ही यह कहकर कि यह असम पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं इसे बहुत गंभीर मानता हूं क्योंकि इस प्रकार की अप्रोच अपनाने का क्या कारण है? टी. वी.राजेश्वर वर्ष 1996 में जो डॉयरेक्टर ऑफ आईबी थे, जो बाद में उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बन गये, उन्होंने भी कहा,

"This unchecked illegal immigration from Bangladesh into Assam and other border States could some day lead to a third division of India."

मतलब फिर से तीसरा विभाजन हो जायेगा, यह हो क्या रहा है? कोई यह भी कहता है कि धुबरी जैसे जिले हैं, वहां पर इल्लीगल इमीग्रेंट्स की इतनी परसेंटेज हो गयी है कि वे कहेंगे कि यह तो बंगलादेश का हिस्सा है। ये सारी ऐसी खतरनाक बातें हैं, जिसके कारण मैं समझता हूं कि इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। केवल 4 महीने तो तब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 महीने में इसे पूरा करो, लेकिन आज जब बहस समाप्त होगी, तब गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं अपेक्षा करूंगा कि वे स्वयं अंदाजा बतायें कि कितने लोग वास्तव में इल्लीगल इमीग्रेंट्स बंगलादेश के हिन्दुस्तान के अलग–अलग प्रदेशों में हैं और उनमें से कितने लोग खासकर असम में हैं और यह जो इलाका बोडोज का है, वहां पर कितने आये हैं? क्योंकि वे यह मांग कर रहे हैं कि इन्हें टेरीटारियल काउंसिल जो दी गयी है, वह भी ठीक नहीं है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन है ही नहीं इतनी, पॉपुलेशन तो हमारी ज्यादा हो गयी है।

हमें खुशी है कि एनडीए की सरकार ने पूरा समर्थन दिया था, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दिया था। घुसपैठियों के बारे में लगातार जो हमारी एक्टिविटी चलती रही, वह सबको परिचित है। उसकी हमारी तब आलोचना होती थी।

Illegal immigration has a consequence, particularly for people in Assam because they feel that their lands are going away. उनकी जमीन जा रही है और जो बोडोज हैं उन्हें लगता है कि हम अपने ही इलाके में अपने देश में पराये हो रहे हैं। टी.वी.राजेश्वर ने यह बात कही थी कि ये तो सारे एक दिन रिफ्यूजी बन जायेंगे।

मैंने अपना जब भाषण आरम्भ किया था, तभी मैंने कहा था कि पहली–पहली बात जो पहचाननी चाहिए और स्वीकार करनी चाहिए, वह यह है।

यह ईश्यू हिन्दू, मुसलमान या एथिनिक डिफरेंसेज का न होकर देशी और विदेशी का है और उस कारण से मेरा आग्रह है कि एक अपडेटेड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार होना चाहिए और अपडेट करते हुए उस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में नॉन सिटीजन्स का नाम काटा जाना चाहिए। जो सिटीजन्स नहीं हैं, जो बंगलादेश से आये हैं, उनका नाम वहां से काटा जाना चाहिए।

फिर ट्राइबल बेल्ट्स की जो नॉन–वायलेबिलिटी है जो कि एक प्रकार से बोडो टेरिटॉरियल काउंसिल बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था उसको कोई ब्रीच न करे, नॉन–वायलेबिलिटी ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स। चौथी बात, मैं मानता हूं कि अगर यह सदन यह स्वीकार कर ले कि असम की सुरक्षा, वह भारत की एकता और सुरक्षा से संबंधित है। ये चार तथ्य मैं कहूंगा। अगर सारे हिन्दुस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करें कि यह इंडियन वर्सेज फॉरनर का इश्यू है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स में से नॉन–सिटिजन्स के नाम हटाए जाएं और नॉन–वायलेबिलिटी ऑफ ट्राइबल बेल्टस, तीसरा और चौथा, असम को सुरक्षित करने से उसके सामरिक महत्व को ध्यान में रख कर के हम एक प्रकार से भारत की एकता और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, मजबूत करेंगे। इस पर अगर कंसेन्सस इस चर्चा में से निकलता है तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार को, प्रधानमंत्री को चार महीने तब का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, आज वह अपने सामने कोई लक्ष्य, कोई डेडलाइन रखें, हम कोशिश करेंगे कि डिपोर्टेशन और डिपोर्टेशन न हो सके तो डिसइन्फ्रेंचाइज में, यह तो कम से कम होगा कि कोई भी बंगलादेशी हिन्दुस्तान में आ गया और हिन्दुस्तान के किसी भाग में बैठ गया तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए और अगर डिपोर्टेशन न हो सके तो उससे पहले डिसइन्फ्राचाइजमेंट अर्थात् एलेक्टोरल रोल से उसका नाम हटाना, यह हम करेंगे। इसके लिए एक निश्चित अवधि, डेडलाइन तय कर के इस सदन को बताएं तो समस्या का समाधान होगा।■

अगर घुसपैठिए को हम रोक नहीं पाएं तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में होगी

& fot ;k pØorh

गत 8 अगस्त को लोकसभा में असम हिंसा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने वहां के भयानक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि अभी असम में 27 जिलों में से 13 जिलों में बंगलादेशी बहुमत है। राज्य की जनसांख्यिकी में परिवर्तन हो रहा है। असम की संस्कृति व परंपरा पर भी आघात हो रहा है। हम यहां श्रीमती चक्रवर्ती के भाषण का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

सर, मैं माननीय आडवाणी जी का स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहती हूँ। असम में जो दुर्भाग्यजनक घटना घटी है, उसका कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आडवाणी जी ने स्पष्ट कहा है कि यह कोई हिन्दु–मुसलमान का संघर्ष नहीं है। यह देशी और विदेशी का संघर्ष है। जो असम के ओरिजन लोग हैं, वे बोडो कम्यूनिटी है। इनके ऊपर जो हमला हुआ, वह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। 25 लाख लोगों का घर जला दिया गया। अभी पांच लाख आदमी कैंप में हैं। मैंने स्वयं जा कर देखा है। वे लोग अभी रास्ते पर आ गए हैं। वे लोग अत्यंत दुर्भाग्यजनक स्थिति में हैं। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई जी ने ऑर्डर दिया है कि 15 अगस्त के पहले इन सब लोगों को घरों में वापस भेजना चाहिए। अभी उन लोगों के घर नहीं हैं तो उन्हें कहां भेजेंगे? लेकिन आज बीजीपी संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित किया, बीजेपी के जितने भी एमपी हैं, सारे एमपी ने अपनी एक महीने का वेतन उन पीड़ित लोगों के लिए देगी।

सिर्फ इतना ही नहीं, जो–जो जिस–जिस क्षेत्र से है, वे अपने–अपने एरिया से जितना हो सके उतना रिफ्यूजी कैम्प में सहायता करेंगे। यह भी माननीय आडवाणी जी, सुषमा जी ने निर्देश दिया है। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां से सारा सामान

रिफ्यूजी कैम्प में जायेगा ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग अभी भी संकट में हैं, रास्ते पर हैं, उनका घर नहीं है, उधर एक–दो स्कूल हैं, वे वहां पर हैं, उन लोगों को 15 अगस्त से पहले जाने के लिए कहा है, यह बात नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से इसका प्रतिवाद करती हूं। I had been to the refugee camps from 22nd to 25th July and I had seen their condition. There is no proper food. There is no medical treatment. थोड़ा सा खाकर वे जी रहे हैं, उनके लिए पीने का पानी भी नहीं है। It is stinking. सारे एरिया में बदबू आ रही है। वहां की जो महिलायें हैं, जो महिलायें वहां बच्चा पैदा करती हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए वहां दफ्तर भी नहीं हैं। इतने कैंप हैं, इतने लोग हैं, वहां पर कोई जाता नहीं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी इसमें कुछ रिस्पांसिबिलिटी थी। यहां से भी वहां कुछ डॉक्टर्स और मेडिसिन भेजना काफी जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने तीन सौ करोड़ रूपए दिए। It is a very negligible amount. सौ करोड़ में से बताया गया कि यहां इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनेंगे, सौ करोड़ में 20 हजार घर बनेंगे। पांच लाख लोगों के घर जला दिए गए। इन सौ करोड़ में क्या होगा? पबन सिंह घाटोवार जी ने बार–बार गला फाड़कर कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने इतना दिया।

प्रधानमंत्री जी असम के हैं, तीन बार असम से राज्य सभा में चुनकर गए हैं, उनकी ऐज ए प्रधानमंत्री और ऐज एन एमपी रिस्पांसिबिलिटी है। वे खुद को कहते हैं कि मैं असम का पुत्र हूं। असम का पुत्र यह कहेगा तो दूसरा जो मिनिस्टर है, उन्होंने इतना कहा, यह समझने की बात है, यह मैं कहना चाहती हूं। यह जो गड़बड़ हुयी, 2 जुलाई से थोड़ी–थोड़ी शुरू हुयी, 6 जुलाई में कुछ आदमियों को मार डाला, मेरी जितनी जानकारी है, सेंट्रल होम मिनिस्टर के ऑफीसर ने बताया था, प्राइम मिनिस्टर को भी बताया था, ऐसा सुना है, असम के सीएम को भी बताया है, बीटीए एरिया में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने कुछ रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली, कुछ कार्रवाई नहीं की। इसके कारण 2 जुलाई से शुरू हुई इस घटना ने 19 जुलाई से भयंकर रूप लिया। सारे लोग बेघर हो गये, सबको मार डाला, it is an irresponsible and unwanted activity on the part of the Government.

महोदय, सबसे दुःख की बात यह है कि यह 16 जुलाई से शुरू हुआ। लेकिन सीएम ने खुद ही शिकायत की कि सेना बहुत देर से भेजी। 5 दिन के बाद सेना भेजी और 5 दिन में सारा का सारा खत्म हो गया। इसलिए मैं होम मिनिस्टर जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से पूछना चाहती हूं कि सेना लेट क्यूं भेजी, आपने सेना को लेट किसलिए भेजा, जब आप रिप्लाई देंगे, तब इसका जवाब दीजिएगा?

सेना के देर से जाने के कारण इतने लोग मर गये, इतने लोग बेघर हो गये। पबन सिंह घाटोवार जी ने कहा कि वहां पर बांग्लादेशी नहीं हैं। इतनी राजनीति करने वाली पार्टी इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। वोट के लालच, सत्ता के

लालच के कारण इन लोगों ने कहा कि वहां बांग्लादेशी नहीं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने वर्ष 1985 में संधि की, ट्रीट्री की कि असम में जितने बांग्लादेशी हों वर्ष 1971 से, उन लोगों का असम से बहिष्कार करना है, लेकिन कांग्रेस ने आईएमडीटी एक्ट लागू करके इसको बंद कर दिया। अभी भी more than seven lakh cases relating to foreigners are still pending in the courts. यह बहुत दुःख की बात है। पबन सिंह घाटोवार जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि नेशनल रजिस्टर फॉर फॉर्नर्स नया बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया। थोड़ा काम शुरू हुआ था, लेकिन 2 स्टूडेंट्स के बीच, मुस्लिम और लोकल के बीच थोड़ा झगड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया।

अभी बहुत भयंकर स्थिति असम की है, असम सिर्फ 22 किलोमीटर से मेन लाइन के साथ जुड़ रहा है। असम का बार्डर खुला है। असम में 270 किलोमीटर के बार्डर में 50 किलोमीटर बार्डर खुला है। पानी में जहाँ बार्डर है, वह भी खुला है। आपको सुनकर बहुत दुख लगेगा कि असम में जो पुलिस है, उनके हाथ में स्टील की गोलियाँ भी नहीं दी गई हैं। उनको कहा गया है कि प्लास्टिक की गोलियाँ यूज़ करें ताकि कोई घुसपैठिये न मरें। वहाँ पर जितनी पैरा मिलिट्रीफोर्सेज़ हैं, उन लोगों के पास कोई सॉफिहस्टिकेटेड वैपन्स नहीं हैं जिससे वे घुसपैठियों को रोक नहीं सकते।

अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि असम में अगर इनफिलट्रेटर्स को हम रोक नहीं पाएँगे तो सारे देश की सुरक्षा नहीं होगी। अभी असम में 27 जिलों में से 13 जिलों में बंग्लादेशी मेजॉरिटी है। 15 असैम्बली सैगमैन्ट्स अभी डाउटफुल बंग्लादेशियों के हाथ में है। यह स्थिति असम की है। धीरे/धीरे असम की डैमोग्राफी चेन्ज हो गई है। असम का कल्चर, असम का ट्रेडीशन, असम का रिलीजन तथा जनजातीय लोगों का कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। इसलिए यह भयंकर स्थिति वहाँ की है। अभी जो घटना घटी है, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम सब लोगों को मिलकर, पार्टी से ऊपर उठकर एक साथ विचार करना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लालू जी की पार्टी के लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं। सबसे ऊपर उठकर हमें विचार करना चाहिए। यह ह्यूमन प्रॉबलम है। अगर असम नहीं रहेगा तो भारत भी नहीं रहेगा। That is why, first of all, they should identify the Bangladeshis and deport them. My second suggestion is to clear all the PGR/VGR and riverine areas and they should be free from the Bangladeshi infiltrators. My third suggestion is to implement the Foreigners Act as it is directed by the Supreme Court and update NRC. They should give security to indigenous people. The amount of Rs. 300 crore should be increased to Rs. 1500 crore. ■

हम गंभीर नहीं हुए तो असम एक दिन 'बीओए' हो जाएगा

& jktu xkgu

गत 8 अगस्त को लोकसभा में असम हिंसा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद श्री राजेन गोहैन ने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि सदन में अगर इस तरह से चर्चा करेंगे तो असम नहीं रहेगा। असम एक दिन 'बीओए' हो जाएगा, 'बांग्लादेश अक्युपाइड असम' हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी घुसपैठ की समस्या इतनी गहरी हो गई है कि बंगलादेशी किसी से नहीं डरते हैं। आज हम लोग भारतीय होकर विदेशियों के गुलाम बनने जा रहे हैं। प्रस्तुत है श्री गोहैन के भाषण का संपादित पाठ :

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज मैं थोड़ा घबरा गया हूं क्योंकि आज जिस तरह से सदन में असम की समस्या के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर एक भी बंगलादेशी नहीं हैं। यह कोई बंगलादेशी और घुसपैठिए के साथ कोई झगड़ा नहीं है। दो जन गुष्टी का झगड़ा है। इस तरह से बात को टाला जाएगा तो देश कहां रहेगा, मुझे संदेह होता है। आज रानी जी ने जो बातें कहीं, उन्होंने छः साल आंदोलन किया। वह असम मूवमेंट की लीडर थीं। उनके हसबैंड भी लीडर थे। उस समय वे विदेशी घुसपैठिए के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे थे। मुझे सुन कर आश्चर्य हुआ, जैसा एजीपी के सदस्य ने जिस तरह से बात बोला, इन लोगों ने छः साल क्यों आंदोलन किया था? इन लोगों ने छः साल विदेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन किया था। 855 लोग की मौत हो गई थी। उनको शहीद डिक्लयेर किया। उन्होंने दो साल राज किया। तुम एक भी बंगलादेशी नहीं

निकाल पाया। आज यह समस्या इतनी गहरी हो गई कि बंगलादेशी किसी से नहीं डरते हैं। आम आदमी को छोड़ दीजिए। वे लोग थाना उड़ा देते हैं। ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? मोडावरी एक थाना है, मेरा कांस्टीचुएंसी और डिगबोगई का कांस्टीचुएंसी है, थाना पर अटैक कर, थाना के हिन्दु पुलिस ने खुद को मुसलमान बोल कर अपनी जान बचाई। मामला इस हद तक पहुंच गया है।

सभापति महोदय, अगर इस तरह से चर्चा करेंगे तो असम नहीं रहेगा। असम एक दिन 'बीओए' हो जाएगा, 'बंगलादेश अक्यूपाइड असम' हो जाएगा। लोअर असम तो चला ही गया। अभी आपको असम के लोगों के प्रति चिंता करनी पड़ेगी। देश के लोग इस तरह से असम के लोगों को देखते हैं। आज हम लोग भारतीय हो कर विदेशियों के गुलाम बनने जा रहे हैं। हम लोग आप से मदद मांग रहे हैं कि आप हम लोगों को बचाइए।

यह गंभीर मामला है। आज वहां इतने एक्सट्रीमिस्ट ग्रूप्स ने जन्म ले लिया है।

वहां पर इतने एक्सट्रीमिस्ट ग्रूप्स ने जन्म ले लिया। अल्फा मांगता है। नागालैंड के लोग मांगते हैं। बाकी जितने हिली स्टेट्स हैं, सभी प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं। सिक्सथ शेड्युल के अंदर उनको स्टेट का दर्जा मिल गया। असम एक खुला मैदान है जहां पर घुसपैठिए चले आ रहे हैं। असम के लोगों के लिए चिंता करनी पड़ेगी। देश के राजनीतिक दल इस प्रकार की भावना दिखाए तो हम लोग किस के साथ रहें। इस तरह की भावना जरूर पैदा हो जाएगा।

यह देश को चुनौती देने की बात हो रही है। देश को किस ढंग से बचाना पड़ेगा। यह बहुत गंभीर मामला है।

असम में 20 जुलाई को जो घटना हुई थी, वह अभी तक चल रही है। वह बोडो ट्राइबल और कुछ विशेष धर्मावलंबी लोगों के साथ हुआ कोई संघर्ष नहीं है। This is neither an ethnic conflict nor a communal clash. Rather, I should say, it is a blatant kind of an aggression, a barbaric attack on the indigenous, Indian Bodo tribal people, another peace loving local people of Assam, those who are of Indian origin. By whom? By the illegal, hostile, Bangladeshi citizens.

15 अगस्त,1985 को राजीव गांधी साहब ने उस समय के असम गण परिषद के साथ जो समझौता किया था, उसे 27 साल बीत गए। अगर उन 27 वर्षों में असम समझौते को इम्प्लीमैंट किया होता तो आज इतनी गंभीर सिचुएशन नहीं होती। In the year 1983, IMDT Act was passed by this august House. उसके खिलाफ हमारे भूतपूर्व सांसद साथी श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने एक रिट पिटीशन फाइल की। I am very much happy to say and thank the Supreme Court of India that in the year 2005 the hon. Supreme Court of

India had rejected the IMDT Act. My question is this. Under these circumstances, what kind of proactive action will be taken by the Government of India to identify those illegal migrants who entered India, who entered particularly Assam, who entered particularly Bodoland territory, who entered the tribal belts and blocks? When will these identified people be deported to their State of origin?

आप बोडो जैसे भारत के मूल निवासी चाहे असमिया हों, राजवंशी हों, बोडो हों, हिन्दी स्पीकिंग लोग हों या असम में रहने वाले मोस्टली प्राचीन मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उन्हें किस ढंग से बसाएंगे, कैसे सुरक्षा करेंगे। 20 जुलाई को हमारे चार बोडो लोगों को बहुत बुरे ढंग से मार दिया गया that too in the presence of police. Had there been some kind of firing, some shooting by the police, I think those innocent Bodo people's lives would have been saved. Why those four Bodo boys could not be rescued? That is a vital question. Then next day on 21st July, the same culprits attacked one of the Bodo villages called Farugura situated nearby Kokrajhar. Two Bodo women were butchered and one old man was also butchered. On the third day, third Bodo man in the same village was killed and the old houses of Bodo families of that particular village were looted, destroyed and burnt down blindly. Then, the flare of the tensions spread over there. Such kind of incidents took place? I strongly condemn it. जितने लोग मरे, उनके लिए मैं दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं। I express and share my compassion and sympathies with all those people who have been suffering and languishing in different areas whether they are the Bodos, the Muslims or other members of the societies.

आप लोग देखिये कि यह सिर्फ बोडो लोगों के खिलाफ हमला नहीं हुआ। डिजनी नाम का एक सिविल सबडिवीजन है, वहां नौआपारा नाम का एक गांव है। उस नौआपारा गांव में 91 फैमिलीज के मकान जला दिये गये। Out of those 91 families, majority of the families were belonging to a particular non-Bodo group of people, the Rajbongshi people. Their houses were also looted and burnt.और क्या किया? उन्होंने मकान वगैरह जलाने से पहले घोड़ागाड़ी जलायी थी। वे उस घोड़ागाड़ी में सारा सामान कैरी करके ले गये, उसके बाद मकान वगैरह जला दिये।

When that kind of a terrible incident took place, then I tried to talk over phone with the hon. Prime Minister, with Soniaji, with the Home Minister and even with the then Union Home Secretary.

Personally, I could talk to one of the persons who happened to be one of the PAs of Madam Soniaji. He advised me to send an e-mail. Then I sent e-mails to Madam Soniaji, to the Prime Minister and to the Union Home Secretary. Then I got a chance to talk to the Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, Mr. Singh. I told him to please come to Kokrajhar. On the next day, one of the PAs of Prime Minister, Mr. Pillai responded to me. I told him to please brief the Prime Minister honestly and let him come to Kokrajhar and have a look around personally as to what has happened on the ground. Then, on 25th July, Mr. Singh, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs visited Kokrajhar. Thereafter, on 28th July, the hon. Prime Minister came to Kokrajhar and on 30th July, the then Home Minister, Shri. P. Chidambaram visited Kokrajhar. 20 तारीख को यह घटना शुरू हुई और 25 तारीख की शाम को वहां आर्मी पहुंच गयी।

जब वहां आर्मी नहीं पहुंची थी, तो ढुबरी जिले में एक आर्मी आफिसर थे, I telephoned him to rescue some Bodo people. उन्होंने बहुत लाचार होकर बोला कि मैं क्या करूं? He said that until and unless the District Magistrate of Dhubri and SP ask for a certain kind of help in Kokrajhar, he cannot help. He could not go without the permission of the DG and SP. It was the situation. बहुत मुश्किल है। I would like to impress upon the Government through you, Madam, that in Assam, there are 45 tribal belts and blocks which were created under the provisions of Section 10 of the Assam Land and Revenue Manual, 1886 andamended in 1947. As per that provision, all those 45 tribal belts and blocks were restricted for outsiders. Today, those tribal belts and blocks are on the verge of being extinct and even the Guwahati tribal belt, which was settled in 1976, when the Capital city was shifted from Shillong to Guwahati.

Today, in the Bodoland Territorial Council Area, there are three million people. Of these three million, the indigenous tribal people may be around 60 per cent and the rest 40 per cent may be Non-Bodos and non-tribals. Out of these, several lakh of illegal migrants have already entered. Who will take care of this?

The Government of India has not so far handed over the subjects relating to the maintenance of law and order, police and political department to the Bodoland Territorial Administration. Under these circumstances, how can the Bodoland Government protect them?

बोडोलैण्ड गवर्नमेंट जहां अपने बोडो आदमियों की रक्षा नहीं कर पाई, वह दूसरों की रक्षा कैसे कर पाएगी?

What Mr. Geete mentioned was right. Recently, on 16th June, one Assamese daily called 'Asomiya Pratidin' carried one very sensitive and very dangerous news item. उसमें व क्या हुआ? एक आदमी ने एक नया मिलिटेंट आर्गनाइजेशन बनाया, जिसका नाम है यूनाइटेड मुस्लिम नेशनल आर्मी और उनकी मांग क्या है? Theirs is a single point agenda - to create a sovereign Muslim land comprising 50 per cent of the Bodoland area, comprising 14 Districts of Assam. If these 14 districts are gone, क्या होगा? जिस तरह से पीओके बना, उसी के मुताबिक बांग्लादेश ऑक्यूपाइड असम बनेगा। This is nearing. I will tell you. I do not have any political interest. Tomorrow or day after tomorrow I would not even be able to come over here, but that is not the question. The question is how we can ensure the safety and security of the indigenous tribal people; safety, security and defence of the country? This is a matter of very serious concern. यह नेशनल मुद्दा है।

इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि विदेशी कौन है, देशी कौन है, उन लोगों का आइडेंटीफिकेशन हो, based on the Assam Accord deadline. किसी को दुबारा वहां नहीं भेजना चाहिए, अपोज के बीच जब तक समझौता नहीं होगा। जब गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, विश्वास वापस नहीं आ पाएगा। उसके पहले बैठना ठीक नहीं होगा। जब तक उन लोगों को घर–बार और मकान नहीं मिलेगा, नहीं बनाया होगा, तब तक वे कहां रहेंगे?

इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम से कम इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक जबर्दस्त, इफेक्टिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। इस सदन में जितनी पार्टीज हैं, जितने सांसद हैं, सदस्य हैं, हमें एकत्र होकर, पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने प्रस्ताव दिया था। Why cannot a Joint Parliamentary Committee go into detail as to what has been happening in Assam and in the North-East? एक हाई लेवल जुडिशियल कमीशन बैठाना पडेगा। That Commission has to be headed only by a sitting Judge of the Supreme Court of India to conduct a high-level inquiry into what happened in Kokrajhar and Dhubri districts and to make recommendations to the Government of India for bringing about a lasting and honourable solution to all these problems and issues.

रुपये के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि The hon. Prime Minister has announced a package of about Rs.300 crore. इससे क्या होगा? इसलिए

मैं मांग करना चाहता हूं the package must be a minimum of Rs.10,000 crore. सरकार की तरफ से इसको स्वीकार करना पड़ेगा और जितने लोग वहां मरे हैं, एक–एक आदमी को 10 लाख रुपये एव एक्सग्रेशिया ग्रांट के रूप में देना होगा। जितनी फैमिलीज के घर जले हैं, उनमें से हरेक फैमिली को कम से कम 20 से 25 लाख रुपये देने चाहिए।

जितनी भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं, उनमें जितने गैर कानूनी लोग घुसे हुए हैं, उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। बोडोलैंड टेरिटोरयल कौंसिल सरकार के पास पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करने का अधिकार देना पड़ेगा। All this is not possible until and unless a separate State of Bodoland is created.

Under these circumstances, I would like to appeal to the Government of India to take appropriate steps, to help create the much long awaited separate State of Bodoland so as to help and protect the safety and security for the overall development of the Bodo people and other peace-loving people in the region. This is the one and the only solution. There is no other solution to this problem. हिन्दुस्तानी होने के नाते हम हिन्दुस्तान की ज़मीं पर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, ज़िंदगी भी देनी पड़े, अपने बाल–बच्चों की भी देनी पड़े तो हम देंगे, लेकिन यह सब देकर भी हमें क्या मिला? What kind of independence and what kind of freedom do we have now? Today, there is no more Mahatma Gandhi; there is no more Seemant Gandhi. We need independence; we need freedom; and we need peace. बहुत मुश्किल की बात है। प्रधान मंत्री जी मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप हमें, बसाएं, हिन्दुस्तान को बसाएं, असम को बसाएं, उत्तर–पूर्वी राज्यों को बसाएं, वहां पर उचित ढंग से कार्यवाही करें। ■

Rajya Sabha

Congress makes impossible the detection, determination and deportation of illegal foreigners

—Arun Jaitley

While raising the issue of Assam violence on 9th August 2012 in Rajya Sabha, Leader of Opposition in the House Shri Arun Jaitely said that the Congress lacks the determination to deport the Bangladeshi infiltrators. We are publishing the full text of his speech for our esteemed readers:

Mr. Vice-Chairman, Sir, I am extremely grateful to you for permitting me to make a brief intervention before the hon. Home Minister gives his reply to the debate that we have had yesterday on the very serious and grim situation in Assam for the last few weeks.

Sir, at the very outset, the situation has been extremely serious. The seriousness itself has reflected by the fact that in some of our most sensitive districts there have been clashes between communities and the effect of those clashes is that human lives have been lost, injuries have been caused and people have been thrown out of their houses i.e., from their normal habitat. You have 4,00,000 or more people living in the relief camps. From the reports which have been coming in, it has become clear that the situation in the relief camps is certainly not an ideal one, more

particularly, because these camps had to be impromptu created. The Government has now said that it will have a CBI enquiry into this matter. While we sympathise with all those who have lost their lives and families, livelihood, houses, etc., I would only urge the Government not to treat this case as a case where a simple crime has been committed. Obviously, if people are guilty, they must be investigated and punished. From all statements of the Government and the hon.

Home Minister which have been coming, we miss out the real issue as to why this situation has taken place. Even if tomorrow we succeed in sending these people back to their villages and their homes by giving some kind of a relief to them, there is not a lurking but almost a certain doubt and apprehension in our minds, with the kind of a situation existing in those areas, these incidents are likely to be repeated. I would, therefore, urge the hon. Home Minister, in his response, not to consider it as a law and order problem that so many people have been uprooted, so many people have been arrested, so many people have been sent back and relief has been provided to so many people. This, of course, is the least that the Government must do. The State Government has completely failed. Please go into the root cause as to why this problem has taken place. If this problem gets repeated, the consequences not only on the State of Assam but also on India, as a nation, our national identity, our personality and even our geography, are going to be severe.

Sir, I don't want to take satisfaction by saying that my party had always said so. But, then, the least that can be said is: Is this not a normal or a natural consequence of the change or an change in the demography that has taken place in those regions?

Demography has an impact on the economy. You take away land belonging to the people who are in the normal habitat in those areas. You impact on their place of work, agriculture, resources and all this is accompanied by social tensions. Those who have administered this country, those who framed our laws and Constitution are conscious of this. We are conscious of the

sensitivity of certain areas -- our tribal areas. We know it is the natural habitat of some people who can go, buy land there and settle there. Yes; we are conscious of the sensitivities of those areas.

My friend from Jammu and Kashmir yesterday was speaking vociferously. They are proud of what they call 'Kashmiri earth' and they want that it to be preserved.

And they want that to be preserved. I can understand his sentiment. We may disagree on many issues, but I do not disagree with this sentiment. The North-East, therefore, is a very sensitive region for India. The land connectivity between the North-East and the rest of the country is very narrow. It is, what we call, the Chicken's Neck. The North-East was one of the regions which was very badly affected due to India's partition. There was a lot of violence which took place on the western borders when the country was partitioned. But the North-East moved some good 1200 to 1500 kilometres away by the creation of, what we then called, the East Pakistan. Therefore, whether it was raw material or some food items, the travelling distance increased and, so, the life was certainly not very comfortable. The North-East had different kinds of tribes, communities and people and they were very sensitive to this. This is one area where we really should not have had any political differences as to how to deal with it.

Sir, the Congress Party in Assam at that stage was led by a legendary leader, Shri Gopinath Bordoloi. He is still very, very revered in that State. His name is taken with a lot of respect. He is a Bharat Ratna. What was his approach to this problem and what is your approach today? He wanted -- and this is recorded -- the personality of the North-East, particularly Assam, its cultural identity, its linguistic identity, to be retained. I was going through a Resolution of the Assam Pradesh Congress Committee. In 1945, immediately on the eve of Independence, the Pradesh Congress Committee had said, "Unless the Province of Assam is organized on the basis of Assamese language and Assamese culture, the survival of Assamese nationality and culture

will become impossible. The inclusion of Bengalispeaking areas of Sylhet and Cachar and immigration and importation of lakhs of settlers on wastelands has been threatening to destroy the distinctiveness of Assam and has, in practice, caused many disorders in administration." Now, this is not the A.G.P. saying this; this is what the then Congress Party had said.

Lord Wavell wrote, "Gopinath Bordoloi wrote to Sardar Patel on 18th February, 1946, 'Maulana Saheb seems to come to a conclusion that the only alternative to the state of things is to separate the Bengali districts of Sylhet and a portion of Cachar from Assam and join these with Bengal", a consummation to which the Assamese people are looking forward for the last 70 years. So, even when you had the Re-organisation of States, the Congress Party leadership at that time was fully conscious of the fact and, rightly so, that because of the sensitivities of the North-East, the cultural identity, the linguistic identity of the Region had to be maintained. There is nothing wrong in that. Now, this would obviously include people of various religions. At that time, besides the tribals, Assam had the majority community of the Hindus, the Muslims, the Christians, etc. But, in terms of the cultural identity of that region, they wanted it to be preserved. Sir, unfortunately, somewhere post-Independence, the line which the Congress Party took in Assam -- and which Shri Gopinath Bordoloi had always advocated -- was altered by subsequent leaders of that Party. They probably realised that the ethnic Assamese, the cultural Assamese vote was going away and, therefore, they were in search of an alternative vote-bank. I do not want to repeat it. But some of the slogans which they gave were for the search of that votebank. The hon. Prime Minister is here. He represents the State of Assam for the last 21 years in this House. If you ask the right question, you will get the right answer.

It was that pursuit of an alternative vote bank which is really responsible as the root cause of the problem. For that, you wanted a change in democracy. You had an open border. People would come and settle down. Once people came and settled down, there

was no way of pushing them back. Bangladesh, earlier East Pakistan, was not willing to take them back. This design, unconsciously and not consciously, was for a vote bank politics. But, this overlapped with the design of some other's hand. What was the design across the border?

Sir, I was quite surprised when I read Mr. Zulfikar Ali Bhutto's book. Mr. Zulfikar Ali Bhutto wrote a book called "Myths of Independence". I am just quoting a sentence from that. This is when Bangladesh had not been created. He said, "It would be wrong that Kashmir is the only dispute that divides India and Pakistan, though undoubtedly the most significant. One, at least, is nearly as important as the Kashmir dispute-that of Assam and some districts of India adjacent to East Pakistan. To these Pakistan has a good claim." This was not the only sentiment which Mr. Bhutto expressed. He was known to be advocating a thousand year war against India. Pre-1971, somebody whom we regarded as a great friend of India in Bangladesh, Shri Mujibur Rahman, in his book titled "Eastern Pakistan - Its Population and Economics" said, "Because Eastern Pakistan must have sufficient land for its expansion and because Assam has abundant forest and mineral resources, coal, petroleum, etc., Eastern Pakistan must include Assam to be financially and economically strong." On the one hand, you had a design that some of these regions could be added to what was then East Pakistan, on the other hand, you had the vote bank interest which discarded the Gopinath Bordoloi line which said, "Let us get migrants over here because they are a convenient vote bank". Unconsciously, these two designs overlapped with each other. You had the most unprecedented demographic change which has taken place. Have you seen the kind of demographic changes? Kindly link it with what we call concerns of national security. In Kokrajhar, Bodo population is significant. Adjacent to it is Dhubri. The 2001 Census shows Dhubri with almost 71 per cent population comprising not ethnic minority but migrants. In 2011, when the results of the Census are declared, this figure is likely to cross 80 per cent. Where do you

have 80 per cent illegal immigrants adjacent to Bangladesh border? Right next to the chicken's neck. Therefore, that is the kind of security threat it constitutes to India besides being an expansion of the territory. Today, we have friendly relations and we hope to strengthen those friendly relations. But, no country will allow encroachment into its territory by illegal immigration. We have allowed it to take place. So, a question then arises: How do we get rid of these people? How do you say all of them are foreign nationals? Sir, I was reading and in terms of jurisprudence, the most legendry and liberal name in the world-at least, from our jurisprudence point of view--has been Lord Denning. On the due process of law, how do you get rid of these people who are foreigners, who immigrate illegally, whether it is in America or anywhere? Whether it is a Pakistani or a British citizen or a Bangladeshi, who comes without legitimacy and enters our territory, must be thrown out by a due process. You cannot say that a due process is not possible and, therefore, we do not throw them out. But, Lord Denning has probably done the most monumental work on the due process of law. He is universally regarded as a global authority on the subject.

Now, England does not face these kinds of threats. They only have some illegal immigration. Now, a Liberal like him, when he refers to England, he says, and I quote, "In recent times, England has been invaded" - he uses the word 'invaded' - "not by enemies, nor by friends but by those who seek England as a haven. In their own countries, there is poverty, disease and no homes. In England, there is social security, a national health service, a guaranteed housing to all to be had for the asking without payment and without working for it. Once here, each seeks to bring his relatives to join him. So, they multiply exceedingly". This, he is speaking about the developed country, and here we are dealing with these bordering districts of Assam which are as it is economically deprived. So, you allow because there is pressure on land in Bangladesh, there is pressure on the economy in Bangladesh. So, you allow an en masse migration to take place. The result of that

en masse migration is that you have a complete demographic change in those regions leading to social tensions. What was the Government's approach? And, I will make good this charge against the present Government. You had a law which is there in every country, which is called the Foreigners Act. The Foreigners Act is a law by which you check the illegitimate entry of foreigners into any country. The Foreigners Act always has a provision that whenever the State feels that this man is an illegally entered foreigner, the onus of proof is on this person to show that he is a legitimate resident or a citizen. So, the Foreigners Act worked very well. So, every time the Government of India feels that somebody, whether it is from any friendly State or unfriendly State, has wrongfully entered into India or overstayed, the Foreigners Act notice is given. The onus of proof is on him to show that he has entered the country unlawfully. You should have applied the Foreigners Act. After all you had the Assam Accord in 1985. But the Government said in 1983 that this Foreigners Act will not suit Assam. The State which is most affected by illegal entry of immigrants is Assam. So, you said, "This Act will not apply. We will bring the Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act". We have a which will determine it. What you did was, in that Tribunal, you created a law so that you can make impossible the detection, determination and deportation of illegal foreigners. The change which you suddenly brought about for Assam was, for the rest of the country, the Foreigners Act will apply, but for Assam, the IMDT will apply. In IMDT, the State has to prove that the man concerned is a foreigner. When you have millions of people, how does the State prove that? So, you made the functioning of that Act almost next to impossible. By this provision of shifting the onus, you made otiose the entire IMDT Act. Now, this Act was challenged. My Party always had a view that this Act should be repealed; go back to the Foreigners Act. The Supreme Court struck down this Act, and said, "This is an Act which almost encourages aggression and invasion, a silent invasion of India. Therefore, this is completely unconstitutional. This Act is not

acceptable. So, go back to the Foreigners Act and start a detection under the Foreigners Act". We thought, after the Supreme Court's judgement, at least, the Government would now learn. So, what they did was, they went back to the Foreigners Act, and framed rules under the Foreigners Act. The Foreigners Act said, "The onus is on the alleged foreigner to prove that he is an Indian citizen". They said that this provision will not apply to Assam. For Assam, the provision is, the State will have to show that he is a foreigner. So, what the court struck down in the first round directly, they brought in indirectly with laws. Here was a Government which not only discarded the traditional Assam Congress line, the Gopinath Bordoloi line, which wanted to completely dismantle and destroy the identity of that State, which then indirectly brought in a provision by which you could have illegal settlers in Assam.

The Supreme Court considered the challenge second time and then again struck it down and said, 'this is completely unconstitutional, this is not acceptable.' So, your rules have also been struck down as ultra vires to the Act. We are back to square one and you are not allowing the Foreigners Act to operate. Now what is the position in Districts like Dhubri, Golpara where you have 60, 70 or more than 80 per cent foreigners? On local inhabitants there is pressure, there is pressure on land, there is pressure on economy, there is pressure on resources, etc. You can say that there are so many people in the relief camps, these cases have been registered, the CBI will now investigate matters. This will be at best - I regret to use that word - a clerical approach to resolving this problem. Fortunately, we have the benefit of Mr. Shinde who is looking at this matter afresh as a new Home Minister. I would urge him to please reject this approach, please go back to your present leadership. I do not know, I am getting mixed signals from your present Chief Minister, from the statements I read. At times, I see the revival of Gopinath Bordoloi approach, and, at times I see the presence of that vote bank approach. Please have a clarity of thought process as to what is the approach. And the statement, Sir, we expect from you is, how did the demographic

character of Assam changed, is this social tension completely related to this demographic character which changed. You must give relief irrespective of who the victim is because even if somebody has illegally entered as foreigner, nobody has a right to kill him. He can only be sent back by a due process. Please give relief because relief is something which is humanitarian, increase your reliefs in the relief camps, but please address the larger issue. You cannot have more than 800 kilometres of border which is unfenced.

There can be a problem with regard to the riverine border, but the rest of the border requires to be fenced. I understand the hon. Prime Minister on his last visit has been to some extent concerned about that issue with Bangladesh when he recently visited them. So, please fence the border and let us start this detection process. And please apply yourself to the larger issue and the larger issue is, it is not theoretical enough to say that change of demography in any part of the region will create social tensions. It is not a hypothetical concept, it is a realistic concept. Therefore, providing immediate relief, please do it, please increase it, but, then address yourself to the larger issue. If you are willing to go back to the Congress Party's original stand, probably, India will be safer in your hands, but if you want the vote bank stand which your party has subsequently taken in relation to Assam, I do not think that region or this country would be secure in your hands. Thank you, Sir. ■

यह असम पर नहीं पूरे राष्ट्र पर हमला है

& cychj i|t

गत 8 अगस्त को राज्यसभा में असम हिंसा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद श्री बलबीर पुंज ने कहा कि हमें यह रवैय्या याद रखना होगा कि जब किसी भी भारतवासी के ऊपर, चाहे वह बोडो हो, उसके ऊपर कोई विदेशी घुसपैठिया बंगलादेश से आकर हमला करता है तो वह उस व्यक्ति पर हमला नहीं है, वह पूरे राष्ट्र पर हमला है। प्रस्तुत है श्री पुंज के भाषण का संपादित पाठ :

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आज आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में बोलने को अवसर दिया। मैं जब इस विषय पर तैयारी कर रहा था, मैंने असम का इतिहास देखा, असम की इस समस्या का इतिहास देखा, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मानवीय पहलू देखे, इस समस्या का राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या संबंध हो सकता है उसे देखा, असम के अंदर जो अभी हो रहा है उस बारे में देखा, तो मुझे लगा कि इतने वर्षों के लेखन के बाद भी मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं, जिनसे कि हम असम की समस्या का, असम की इस त्रासदी का, पीड़ा का वर्णन कर सकें। मेरी यह समस्या हल हुई, जब मैंने आज सबेरे का अखबार देखा। आज के समाचार पत्र में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का एक बयान छपा है, उनका वक्तव्य छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है– Assam is sitting on a volcano. अर्थात् असम एक ज्वालामुखी पर बैठा है। इसे पढ़कर मुझे लगा कि जो अभी असम की त्रासदी है, वह कल को पूरे देश की त्रासदी बन सकती है और अगर उसको कोई शह दे सकता है तो ऐसा वक्तव्य दे सकता है कि असम जो है, आज ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष जी, हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब ज्वालामुखी फटता है तो जिस स्थान पर ज्वालामुखी होता है केवल वही स्थान प्रभावित नहीं

होता है, बल्कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी आग आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने लपेटे में ले लेती है और जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका धुंआ आर वहां से जो लावा निकलता है, वह पूरा का पूरा आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिए जब यह असम का ज्वालामुखी फटेगा, जिसका जिक्र वहां के मुख्यमंत्री जी ने किया, तो इसका प्रभाव केवल असम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे देश की सुरक्षा, अस्तित्व, अस्मिता, सम्मान, इन सब के ऊपर पड़ेगा। यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, अभी हाल का जो घटनाक्रम हुआ, कल ही असम में तीन लोग और मारे गए हैं, सरकारी आंकड़ा तो कोई 70–75–76 के आसपास है, मगर जानने वाले लोग कहते हैं कि कई सौ लोग मारे गए हैं, सैंकड़ों लोग घायल हुए हैं और चार लाख लोग अपने ही देश में, अपने ही घर में शरणार्थी हो गए हैं, रातों–रात उनकी जिंदगी बदल गई है। वे लोग जो आज शरणार्थी शिविरों में हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहां शरणार्थियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत मानवीय सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं, बीमारी है तो दवाइयां नहीं हैं। सबसे दुख की बात तो यह है, चूंकि असम सरकार को यह बताना है कि असम में जो हालात हैं वे ठीक हो गए हैं, इसलिए वहां लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वे 15 अगस्त से पहले अपने–अपने घरों को लौट जाएं। वहां पुलिस भेजी जा रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, कोई अपना घर अपने आप नहीं छोड़ता। जब तक जान पर न बन आए, अपना घर छोड़कर कोई शरणार्थी कैम्प में नहीं जाता। जिनके घरों में आग लगी थी, उस आग की आंच भी अभी ठंडी नहीं हुई है और सरकार अपनी नाक बचाने के लिए उन शरणार्थियों को मजबूर कर रही है कि वे लोग अपने घरों को वापस लौट जाएं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार और असम राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि जब तक शरणार्थी बिल्कुल सुरक्षित अनुभव न करें, जब तक उनके गांवों में सुरक्षा की व्यवस्था न हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को मजबूर करके उन्हें अपने गांव या अपने घर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, यह घटनाक्रम 19 जुलाई के आसपास शुरू हुआ, सच में देखा जाए तो असम में ऐसी छोटी–मोटी आग पहले से जलती रही है। दशकों से जल रही है, लेकिन जब यह घटनाक्रम शुरू हुआ, तो एकदम से हिंसा की आग फैली। जब हिंसा की आग फैली, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने सेना को बुलाया था, लेकिन सेना समय पर नहीं आई। रक्षा मंत्रालय की ओर से कुछ और कहा गया। देश यह जानना चाहता है कि दंगा कब शुरू हुआ? राज्य सरकार की तरफ से कौन सी तिथि को यहां रक्षा मंत्रालय में यह आवेदन आया कि सेना को हालात ठीक करने के लिए भेजा जाए? रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश सरकार की इस प्रार्थना पर विचार करने के लिए कितने घंटों या दिनों का समय लिया, यह स्पष्ट जानकारी भी दी जानी

चाहिए। जब सेना को आदेश मिला, तो सेना ने आदेश मिलने के बाद स्थिति को संभालने में कितना समय लगाया, यह जानकारी भी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय, प्रदेश सरकार की प्रार्थना के ऊपर दो दिनों तक बैठा रहा। 24 जुलाई को सेना को आदेश दिया गया और 25 जुलाई को भारतीय सेना के सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे, शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था, वह प्रयास उन्होंने किया।

उपसभाध्यक्ष जी, अगर सेना पहले भेजी जाती, तो क्या यह संभव नहीं था कि बहुत सारी जानें नहीं जातीं, बहुत सारी संपत्ति नहीं जलाई जाती तथा बहुत सारे निर्दोष लोग घायल नहीं होते?

उपसभाध्यक्ष जी, पिछले सत्र में जब रक्षा मंत्रालय की मांगों पर सदन में बहस हो रही थी, तब मैंने इस बात की ओर सदन का और देश का ध्यान दिलाया था कि किन–किन क्षेत्रों में रक्षा के मामले में कमजोरी है। देश के अंदर की जो सुरक्षा है, नागरिकों को जहां तक सुरक्षा देने का प्रश्न है, वह जिम्मेदारी देश की पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर होती है। हमारे देश की सीमाओं की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों के ऊपर है, बीएसएफ के ऊपर है, सीआरपीएफ के ऊपर है, एसएसबी के ऊपर है, आईटीबीपी के ऊपर है।

उपसभाध्यक्ष जी, देश में ये जो अर्धसैनिक बल हैं, इनकी क्या हालात है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 सालों में 50,000 से ज्यादा लोगों के केन्द्रीय पुलिस बलों से त्यागपत्र दे दिया है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। 2011 में जितने लोगों ने नौकरी छोड़ी है, यही इसकी हम तुलना करें, तो 2010 की तुलना में 70 परसेंट ज्यादा लोगों ने नौकरी छोड़ी है। जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, उनके लिए अनिवार्य सेवा अवधि होती है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी ढाई से तीन लाख रुपए का जुर्माना देकर सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों को छोड़ रहे हैं। वे क्यों छोड़ रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिस तरह की political interference पुलिस के काम में की जाती है, उससे उनका मनोबल टूटता है। जब सुरक्षा बल देश के अंदर आतंकवादियों से लोहा लेते हैं, तो बहुत से नेता वोट बैंक की खातिर सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ते हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। दिल्ली के बाटला हाउस में इंस्पैक्टर शर्मा की शहादत हुई, हम सब यह जानते हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता ने उनकी शहादत को इज्जत नहीं दी और वे जाकर आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए। अगर ऐसे मामलों में देश का नेतृत्व वोट बैंक की खातिर पुलिस अधिकारियों का मनोबल तोड़कर आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसी स्थिति का निर्माण असम में हुआ है, वहां पुलिस अधिकारी और अर्धसैनिक बल कितना काम कर पाएंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, असम की समस्या बहुत पुरानी है। देखा जाए तो जब

दिसम्बर, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके साथ ही इस समस्या का जन्म हुआ। कहीं न कहीं यह प्रयास हुआ कि असम को मुस्लिम बहुल कर दिया जाए और उसके लिए तभी से लोगों ने कोशिश शुरू कर दी। 1931 में असम के सेंसस सुपरिटेंडेंट, जो एक अंग्रेज थे, Shri C.S. Mullan उन्होंने अपनी फाइल में नोटिंग की– "The invasion of a vast herd of land hungry immigrants mostly Muslims from the District of East Bengal, particularly Maimansingh, they are invading the area." यह 1931की बात है। उसके बाद 1937 में जब अंग्रेजों का राज था, पहली बार असम प्रधानमंत्री बने, उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था। असम और अन्य क्षेत्रों के जो चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको 'प्रीमियर' या 'प्राइम मिनिस्टर' कहा जाता था। तो उन्होंने मेमन सिंह और आसपास के जो अन्य जिले थे, वहां से बड़ी संख्या में मुसलमानों को बुलाना शुरू किया और असम में बसाना शुरू किया। उससे जनसंख्या का जो अनुपात था, वह बदला, वह बिगड़ा और लॉर्ड वेवल, जो तब के वाइसराय थे, उन्होंने officially कहा कि "It is not a 'grow more campaign', it is a 'grow more Mohammadian campaign'." और यह रिकॉर्ड पर है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी पाकिस्तान बनाने में विशेष भूमिका थी, जो वहां के पहले सदर भी थे, उनके पी.ए. मनुल हक चौधरी थे। उन्होंने भी असम में भारी संख्या में जनसंख्या का धार्मिक आधार पर, मजहबी आधार पर बदलाव करने का प्रयास किया और वे पाकिस्तान नहीं गए। वे जिन्ना साहब की पूरी सहायता करते रहे कि पाकिस्तान का निर्माण हो, देश टूट जाए परंतु जब पाकिस्तान बना, तब वे पाकिस्तान नहीं गए और यहां इस सरकार में मंत्री बन गए। साथ ही एक दूसरे कांग्रेस के नेता जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उनकी भी इस मामले में जबर्दस्त भूमिका थी।

He became infamous for his statement during Emergency that 'India is Indira and Indira is India'. The same gentleman also made a statement, which I read, "Alis , that is, the marginalized Muslims, and Kulis, the migrant tea estate workers, would always keep the Congress alive

Sir, everybody uses quotations. जिसमें, जो जनसंख्या का अनुपात था, वह भयंकर रूप से बदला और उससे जो स्थानीय असमी लोग थे, उन लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। उनमें असुरक्षा की भावना इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे थे, जिनको वोट बैंक की खातिर बाहर से बुलाया जा रहा था, उनकी वजह से, उनकी सम्पत्ति, उनका सम्मान और उनका अस्तित्व, तीनों खतरे में पड़ गए थे। उसका परिणाम यह हुआ कि 70 के दशक में वहां एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हुआ– ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। उन्होंने मुख्यतः दो मांगें कीं कि जितने बंगलादेशी हैं, उनको चिन्हित किया जाए और एक नैशनल

रजिस्टर ऑफ सिटिजंस बनाया जाए उसके बाद 1979 में इलेक्शन हुआ, जिसका बहिष्कार करने के लिए कहा गया। उसमें केवल 10 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया। उनके दम पर कांग्रेस ने सरकार बना ली। वे दस परसेंट वोट देने वाले कौन लोग थे, उनके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

On 18th February, 1983, there was a genocide of Muslims at a place, called Nelli, very close to Guwahati. And, in 1985, the then Prime Minister, late Shri Rajiv Gandhi, entered into an Accord with the Assam students. The Accord, basically, had three points.

उसके तीन बिन्दु थे। पहला यह था कि बंगलादेशियों को चिन्हित किया जाएगा, ढूंढा जाएगा। दूसरा, एक नैशनल सिटिजन रजिस्टर बनाया जाएगा और तीसरा, जो असम की सीमा है, खास तौर से बंगलादेश के साथ लगती हुई जो सीमा है, उस सीमा के ऊपर प्रॉपर तारबंदी की जाएगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस तरह से शोर मचाने से अच्छा है कि वे अपने अंतर्मन में झांकें। उनके नेता ने 15 अगस्त 1985 को लालकिले की प्राचीर से पूरे देश के और असम के लोगों के साथ वायदा किया था कि एक–एक बंगलादेशी को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें देश से निकाला जाएगा। उनके प्रधानमंत्री के उस वायदे का क्या हुआ, इस बात का उत्तर उनको देना पड़ेगा। क्या हुआ उस वायदे का? दूसरा, यह कहा गया कि फेंसिंग की जाएगी।

Elections were held after the 1985 Accord and the Assam Gana Parishad formed the Government. It was the duty of the Assam Government to implement that Accord.

उन्होंने यह वायदा भी किया था कि तारबंदी की जाएगी। The promise was made from the ramparts of Red Fort in 1985.

Sir, you will be surprised to know that till 1992 nothing was done. Not even a single pillar was erected in order to give protection around Bangladesh and between Bangladesh and Assam. It started पद 1992 और आज भी फेंसिंग का काम अधूरा है। डिप्टी चेयरमैन सर, असम की और बांगलादेश की जो सीमा है, वह करीब 270 किलोमीटर है। उसमें 50 किलोमीटर का रास्ता जान–बूझकर इस तरह का छोड़ गया है जिससे कि वहां के लोग बिना रोक–टोक के इस तरफ आ सकें और समस्या पैदा कर सकें।

डिप्टी चेयरमैन सर, यह कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं है। यह कोई हिन्दू–मुसलमान का झगड़ा नहीं है। जिस तरह से सामने के लोग इसको हिन्दू और मुसलमान का झगड़ा बता रहे हैं।

ये जो झगड़ा है, यह मूलतः विदेश से आये हुए घुसपैठियों के बीच और यहां के स्थानीय लोगों के बीच का झगड़ा है। यहां के जो स्थानीय मुसलमान हैं, वे असम

की पैदावार हैं, जिनका देश भारत है, उनको गोराया कहा जाता है और जो बंगलादेश से आते हैं, वे बंगाली भी नहीं बोलते, उनको मैमनसिंघी कहा जाता है और ये लोग समस्या पैदा करते हैं। इसलिए मेरी कांग्रेस से प्रार्थना है कि वह इस समस्या को साम्प्रदायिक ढंग से न देखे। अगर देखना है, तो यह झगड़ा है विदेशियों द्वारा आक्रमण, इस देश की भूमि पर, यहां की सार्वभौमिकता पर, यहां के नागरिकों पर। यह जो समस्या है, यह इस तरह से बनी कि जनसंख्या का जो अनुपात था, वह बदलना शुरू हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, कई जिलों के मेरे पास आंकड़े हैं, उन्हें मैं दे सकता हूं, जिससे पता लगता है कि किस तरह से स्थानीय लोगों के बीच में जनसंख्या का अनुपात बदला है। ये 8 जिले हैं और इनमें अलग–अलग तालुकाएं हैं। ये जनसंख्या के आंकड़े 1991 और 2001 के बीच के हैं, क्योंकि 2011 में जो सेंसस हुआ है, उसके आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन तालुकाओं में हिन्दुओं की जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर कम हो रहा है और मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि स्थानीय मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बढ़ रही है कि बॉर्डर पार से, बांगलादेश से, मुसलमान as a vote bank यहां पर बुलाये जा रहे हैं जिससे कि यहां के लोगों का अनुपात कम हो रहा है।

So, Mr. Vice-Chairman, Sir, in Kokrajhar, in Gorgori, the share of Hindu population, between 1991 and 2001, dropped by one per cent and those of Muslims went up by almost 26 per cent. This happened because of infiltration. In Kokrajhar, again, in Dotma taluka, the share of Hindu population dropped by 16 per cent. There was a 16 per cent drop in the Hindu population, and the Muslim population rose by almost 26 per cent. In Dhubri, in Bagribari, the share of Hindu population dropped by -4.11 and that of Muslims went up by 31 per cent. In Chapar, again in Dhubri distrct, the rate of growth of Hindu population dropped by 2.17 percent and that of Muslims went up by 37.39 per cent. Sir, I have a lot of figures. You have to go to the underlying causes of this unrest. If you just look at the symptoms and do not go into the real reasons, you will never be able to solve the problem.

उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेसियों ने एक तरह से घुसपैठियों को बुलाने का प्रबंध किया है, जो ये IMDT Act. लेकर आए। सर, मेरे पास अधिक समय नहीं है जो मैं उसके अलग–अलग प्रोविजन बतलाऊं। IMDT Act. का सीधा सा अर्थ यह है कि जो घुसपैठिया आ जाए, उसको सरकार का कोई अधिकारी वापस कर ही नहीं सकता। वह IMDT Act. सुप्रीम कोर्ट के अंदर strike down हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने strike down करते हुए यह कहा कि 'This was an invisible

invasion on India.' इस मामले में जो गुवाहाटी होईकोर्ट ने कहा, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं, In a case involving as many as 61 people who had been found to be 'foreigners', the court said that most of them were able to avoid 'proceedings against them as well as their deportation from India' and that they have 'incorporated their names in the voter's lists on the basis of which they must have cast their votes. One of them with a Pakistani passport even contested the State Assembly elections in 1996. Gone further than any judicial opinion, so far, the court said, and I quote, Large number of Bangladeshis in the State now play a major role in electing the representatives both to the Legislative Assembly and Parliament and consequently in the decision-making process towards building the nation. Not mincing words, the court described their political influence that of kingmakers. उपसभाध्यक्ष महोदय, इनकी नीतियों का यह परिणाम हुआ कि होईकोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि असम में आपकी सरकार चुनी जाएगी तो उसमें विदेशी निश्चित करेंगे कि कौन सरकार में आएगा। विदेशी ही निश्चित करेंगे कि कौन सा कानून बनेगा और कोर्ट के शब्दों में विदेशियों की भूमिका किंग मेकर की होगी।

महोदय, मेरे पास आंकड़े तो और भी हैं, परन्तु समय नहीं है। मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी असम गए थे और 300 करोड़ रुपए की राहत घोषित की। उन्होंने राहत में यह नहीं बताया कि राहत किसको दी जाएगी। अगर यह राहत का पैसा घुसपैठियों में बांटा जाता है तो उसके दो परिणाम होंगें, एक तो भारत सरकार घुसपैठियों को वैधता प्रदान करेगी और दूसरे जो बंगलादेशी घुसपैठिए सीमा के पार बैठे हैं, उनको सीधा निमंत्रण होगा कि आप एक बार यहां आ जाइए, भारत सरकार आपका रेड कारपेट के साथ स्वागत करेगी।

Sir, I request you to please adjust the time which was taken by interruptions. Sir, I was very disappointed by the statement of the hon. Home Minister. He looked at the problem just as a law and order problem. Can anybody in his senses forget the context in which this entire violence took place? आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम मानते हैं? उसके बाद इस तरह के platitude देना कि सभी कम्युनिटीज को मिलकर रहना चाहिए, यह कैसा भाषण हुआ? जो विदेशी घुसपैठिए हैं, स्थानीय लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनकी पहचान के लिए खतरा बन गए हैं, उनको और भारत माता के पुत्रों को, एक स्तर पर रखना घुसपैठियों की मदद करना है। गृहमंत्री जी का जो बयान था, वह बहुत निंदाजनक था।

मैं अपनी बात खत्म करने से पहले तीन–चार डिमांड्स रखना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि घुसपैठिए पचास किलोमीटर के खुले बॉर्डर से आते हैं। महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह वोट बैंक को छोड़े और जो साम्प्रदायिकता का चश्मा पहना हुआ है, उसको उतारकर समस्या को देखें।

उस समय, जैसाकि माननीय राजीव गांधी जी ने देश के साथ वादा था कि बॉर्डर की सीमा के ऊपर, जैसे पंजाब और कश्मीर के अंदर fencing हुई है, वहां पर भी तुरंत पूरी की पूरी पर प्रॉपर fencing करवाएं और उसकी एक समय सीमा रखें।

दूसरा, इस देश में कोई नहीं जानता कि बंगलादेश से कितने घुसपैठिए आए हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। आज इन करोड़ों लोगों को देश से बाहर निकालना भी कठिन है, क्योंकि बंगलादेश इनको वापस नहीं लेगा। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को Stateless person डिक्लेयर किया जाए। पहले इनको चिह्नित किया जाए, they should be identified first and then they should be declared as Stateless who have no right to vote and who have no right to own property. They should be disenfranchised. इनको Stateless person बनाया जाए। इसका एक precedent है। उपसभापति जी, जम्मू–कश्मीर के अंदर 1947 में पश्चिमी पंजाब से करीब 30 हजार परिवार आए थे। अब उनकी संख्या शायद 2.5 लाख के आस–पास हो गई है, लेकिन वे 60 साल से शरणार्थियों की हालत में जम्मू–कश्मीर में रहते हैं और किसी को प्रदेश के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी को संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है।

आज तक साठ सालों में उनको अधिकार दिया नहीं है। उनको संपत्ति का अधिकार नहीं है। उनकी सुरक्षा नहीं है। आप क्या बात करते हैं?

उपसभापति जी, यदि भारत के अंदर इन 2.5 लाख लोगों को इस देश की नागरिकता लेने का अधिकार है। इन लोगों को Stateless person डिक्लेयर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इनको यहां पर सम्पत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने वोटर लिस्टर में अपना नाम लिखा रहा है। They must be disenfranchised immediately. उसके बाद किसी स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

अभी तक यह बोडो समस्या कही गई है, लेकिन यह बोडो की समस्या नहीं है, यह कोकराझार जिले की समस्या नहीं है, यह असम की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। हमें यह रवैया रखना होगा कि जब किसी भी भारतवासी के ऊपर, चाहे वह बोडो हो, उसके ऊपर कोई विदेशी घुसपैठिया बंगलादेश से आकर हमला करता है तो वह उस व्यक्ति पर हमला नहीं है, वह पूरी भारत माता पर हमला है, पूरे राष्ट्र पर हमला है। अगर यह रवैया रखेंगे, तभी असम की समस्या का समाधान होगा। ■

असम में हिंदुस्तान की सरकार नहीं, बंगलादेशी घुसपैठियों के लिए बनी सरकार है !

& r#.k fot ;

गत 8 अगस्त को राज्यसभा में असम हिंसा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद श्री तरुण विजय ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा बता दीजिए, जहां की सरकार विदेशियों की आवभगत करने का काम करती हो। हमारे यहां पर बंगलादेश की सरकार बनकर काम किया जा रहा है। असम के लोग पूछना चाहते हैं कि यहां पर हिंदुस्तान के बोडो की आवाज बनकर किसने बोला? हम यहां श्री तरुण विजय के भाषण का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं :

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं भारत की रक्षक भुजा की वेदना और आक्रोश को प्रकट करने के लिए यहां आया हूं। जब मैं तीन दिन पहले वहां से लौटा, तो वहां के एक कार्यकर्ता ने मुझे एक कागज थमाया और कहा कि जब आप संसद में जायें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछिए कि उन्होंने शपथ ली थी,

I do swear in the name of God that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully and conscientiously discharge my duties, without fear or favour, affection or ill-will, for every citizen of this country.

उन्होंने कहा कि आप कृपया प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि वे भारत का कानून यहां असम में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? कृपया प्रधानमंत्री से यह पूछिए कि जो भारत के देशभक्त नागरिक हैं, उनको इस भूमि में आकर विदेशी घुसपैठिये जब

मारते हैं, उनके घर जलाते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कानून के अनुसार, भारत के नागरिकों की रक्षा क्यों नहीं करते? उनसे कृपया यह पूछिए कि जिन लोगों ने शपथ ली वे भारत की एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे। उन्होंने शपथ ली है कि वे बिना भेदभाव, जाति, पंथ, धर्म के भारत के नागरिकों की रक्षा करेंगे, वे नागरिक जब अपने घर से उजड़ते हैं और उन नागरिकों की जमीन पर जब विदेशी घुसपैठिये आकर कब्जा करते हैं और जब भारत के नागरिक इसी सरकार के राज में शरणार्थी बन जाते हैं, तब भारत सरकार हिन्दुस्तान का कानून लागू क्यों नहीं करती? वह हिन्दुस्तान के नागरिकों की रक्षा क्यों नहीं कर पाती? ये प्रश्न वे लोग इस संसद से पूछना चाहते हैं, वे यह नहीं चाहते कि आप कहें कि वहां हिन्दू और मुसलमान का झगड़ा है, वे नहीं चाहते कि आप कहें कि उन लोगों ने, जिन्होंने उनके घर उजाड़े, उन्होंने मुस्लिम मानसिकता के कारण उनके घर उजाड़े, वे कहते हैं कि विदेशी थे, जो सीमापार से आए, ब्रह्मपुत्र पार से आए, जिनको यहां की सरकार, असम की सरकार अपना बनाकर उनको नागरिकता देती है, वोट का अधिकार देती है और हिन्दुस्तान के chicken and egg situation पर जो बोडोलैंड का क्षेत्र है, जहां से दैमारी साहब आये हैं, वे कांग्रेस के समर्थक हैं, वे यूपीए के समर्थक हैं, लेकिन मैं आज 100 प्रतिशत दैमारी साहब के साथ खड़ा हूं और हमारी पार्टी उनके साथ में खड़ी है और बोडोलैंड के तमाम देशभक्त नागरिक के साथ खड़ी है, जिन पर अमानुषिक अत्याचार हुए और जो अपने ही घर में रिफ्यूजी बना दिये गये।

महोदय, अभी मुझ से पूर्व माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस ने वहां पर सबकी रक्षा की है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि Gopinath Bardolai, B. K. Nehru Sahib, B. P. Chaliha Sahib, भारतीय जनता पार्टी (जनसंघ), शिवसेना या एजीपी के नेता नहीं थे, ये सभी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इन विदेशी मुस्लिम बंगलादेशी, जो तब ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, उनको Gopinath Bardolai ने रोकने के लिए भरसक प्रयास किया था, और B. P. Chaliha Sahib ने भी इसके लिए भरसक प्रयास किया था, यह रिकार्ड है। संजय हजारिका ने Penguin से एक किताब निकाली है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि तमाम केन्द्र की सावधानियां बरतने के बाद असम बचाने का प्रश्न है। जो घुसपैठिए असम की जमीन पर एन्क्रोचमेंट करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करना मेरा कर्तव्य है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चालिहा साहब कांग्रेस के नेता थे। B. K. Nehru, नेहरू खानदान के अंग थे और वे असम के गवर्नर भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि I do not belong to this Congress which puts party interest on priority. I am not an old Congressman. I belong to the Congress which had always put the national interest on top of the

agenda. उन्होंने यह तब लिखा जब यह कहा कि I am very sad to see that the infiltration from across the border is continuing, but nothing is being done by the Government to stop infiltration from across the border. Sir, they were the Congress people. They belong to your Party, Sir. What did you do to remove their pains and anguish? I am not quoting any non-Congress person.

हिन्दुस्तान के वे लोग जो असम में रहते हैं और चीखते–चिल्लाते हैं कि हमें विदेशियों से बचाओ, वे हमारी जमीन हड़प गए, हमारे मकान जला गए, हमारी औरतों के साथ बलात्कार कर गए और पुलिस भी उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है। चार बोड़ो जवान आ रहे थे। पुलिस ने उनको बुरी तरह से मारा। महोदय, they were not killed. Theywere butchered before the eyes of the police officers in Jaipur. Nothing was done.

महोदय, कुछ भी नहीं किया गया। ये कहां जाएंगे, क्या ये मांगेंगे कि हम बंगलादेश चले जाएं, उनके जैसे हो जाएं और जब हम वापस असम में आएं तब असम सरकार हमारी हिफाजत करेगी। क्या हिन्दुस्तानियों को भारत में घुसपैठिए के रूप में आकर अपनी हिफाजत मांगनी पड़ेगी? वे लोग कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तान हमारी वेदना तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि वे बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठिए दिल्ली में बहुमत में नहीं आ जाएंगे। ये सांसदों और विधायकों को उनके बंगलों से बाहर निकालकर जब शरणार्थी बनाएंगे, तब उनको पता चलेगा कि अपने घर से उजड़ने का मतलब क्या होता है, तब उनको पता चलेगा कि अपनी जमीन खोने का मतलब क्या होता है, तब उनको पता चलेगा कि अपने गांव से बीस किलोमीटर दूर हिन्दुस्तान के नन्हें नागरिक को, आजाद आकाश के तले जन्म नहीं दिया गया, हिन्दुस्तान के आजाद आकाश के नीचे एक शरणार्थी के रूप में आज नन्हें बच्चे को जन्म दे रहे हैं। वह बच्चा स्वतंत्र नागरिक के रूप में नहीं पैदा हो रहा है। वह हिन्दुस्तान की आजादी के जश्न के साए तले एक रिफ्यूजी के रूप में जन्म ले रहा है, इससे बढ़कर हिन्दुस्तान की विडम्बना और क्या हो सकती है? वे कहते हैं कि साहब हमको कुछ नहीं चाहिए। आपने, कांग्रेस ने और राजीव गांधी साहब ने जो आश्वासन दिया, मेहरबानी करके उसको पूरा कर दीजिए। उन्होंने लाल किले से आश्वासन दिया था।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इनको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा बता दीजिए, जहां की सरकार विदेशियों की आवभगत करके काम करती हो। हमारे यहां पर बंगलादेश की सरकार बनकर काम किया जा रहा है। वे लोग पूछना चाहते हैं कि यहां पर हिन्दुस्तान के बोडो की आवाज बनकर किसने बोला? आपने IMDT Act बनाया है। आपने हिन्दुस्तान के लिए दूसरा कानून, असम के लिए दूसरा कानून बनाया है, ताकि आप घुसपैठियों को बचा सकें। सुप्रीम कोर्ट में सर्वानन्द सोहनेवाल ने पांच साल तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर सुप्रीम

कोर्ट ने उसको स्ट्राइक किया और कहा कि यह गैर कांस्टीट्यूशनल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा, We have created 36 Tribunals to detect and deport the Bangladeshi infiltrators. उपसभाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख तक एक भी ट्राइब्यूनल काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि 36 बने हैं, लेकिन आज तक एक भी ट्राइब्यूनल काम नहीं कर रहा है। इससे बढ़कर बंगलादेशियों की आवभगत करने वाला कौन हो सकता है। अभी इलेक्शन कमिश्नर श्री ब्रह्मा ने इंडियन एक्सप्रैस में कहा कि बोडो मारे जा रहे हैं। इस परिस्थिति में हिन्दुस्तान में ऐसा लगता है कि असम में हिन्दुस्तान की सरकार नहीं, बल्कि बंगलादेशी घुसपैठियों के लिए बनी सरकार है।

वे लोग यहां पर हिन्दुस्तान की आवाज बनकर नहीं, बल्कि बंगलादेश की आवाज बनकर बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि **lcl igy en cu fgUnkLrk d okLr] fgn tkx mB rk fQj lkj tgk d okLrA** अगर तुमने हिन्दुस्तान को नहीं बचाया तो तुम्हारी विद्या पर धिक्कार है।

■■■